न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 222/2018

GCMS No. : 2018/00330

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. नेमाराम पुत्र जसाराम जाति– हरिजन, निवासी– ग्राम फूलमाल, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.16/08/2018

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार जैतारण एवं पैरोकार राज।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 02/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा फूलमाल, तहसील जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 170/2 रकबा 12–10 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है जिसका वादी खातेदार काश्तकार है जिसकी प्रमाणित जमाबंदी की नकल साथ पेश है। उक्त कृषि भूमि पर वादी काश्त करता है तथा उसका उपयोग उपभोग करता है तथा वादी ने इस वर्ष ज्वार व मूंग की फसल बो रखी है जिसकी प्रमाणित खसरा गिरदावरी साथ पेश है। अभी बरसात का सयम है तथा वादी अपने खेत को उपजाउ बनाने हेतु खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु बैक से ऋण लेने हेतु पटवारी जी पटवार हल्का फूलमाल से अपने खेत की जमाबंदी की नकल ली तथा बैक में ऋण लेने हेतु दिनांक 09.07.2018 को आवेदन किया तो बैक ने वादी को ऋण नही दिया तथा कहा कि उसका नाम जमाबंदी में गलत नाम रेमाराम अंकित है। वादी को दिनांक 09.07.2018 को बैक अधिकारी द्वारा बताने पर कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में रेमाराम गलत अंकित है जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम नेमाराम पुत्र श्री जसाराम जाति हरिजन साकिन फूलमाल तहसील जैतारण जिला पाली है। इसलिए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में उसका इसकी नाम दर्ज करवाकर उसको खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इस बाबत् वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र पेनकार्ड तथा बैक डायरी की फोटो प्रतिया वाद पत्र के साथ पेश है। बिनाय दावा दिनांक 09.07.2018 को पैदा हुआ जब बैक अधिकारियो ने वादी को उसकी खातेदारी की भूमि पर ऋण देने से साफ इंकार कर दिया तथा कहा कि अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:16 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सही नाम नेमाराम करवाकर लेकर आआ जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार एवं अन्दर म्याद पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि एवं लेण्ड होल्टर तहसीलदार जैतारण है जिनके विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु उक्त वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सी.पी.सी. का वादपत्र के साथ संलग्न है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया, जो सा.मि. है।

तहसीलदार जैतारण ने जबावदावा में कथन किया कि मौजा फुलमाल के खसरा नम्बर 170/2 रकबा 12–10 बीघा में रेमाराम पुत्र जसाराम हरिजन दर्ज है। उक्त खसरे में वादीगण का ही कब्जा काश्त है जिसमें फसल दर्ज हुई थी। यह सही है कि वर्तमान जमाबंदी में वादी का नाम रेमाराम पुत्र जसाराम दर्ज है। खसरा नम्बर 170/2 रकबा 12–10 बीघा जरिये नामान्तरण संख्या 173 दिनांक 25.05.1971 को जरिये आवंटन से रेमाराम पुत्र जसाराम दर्ज हुआ था। राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दी में दर्ज रेमाराम पुत्र जसाराम एवं नेमाराम पुत्र जसाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः दुरूस्त करना उचित है। वादी के परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं पेंशन पीपीओ में भी नेमाराम पुत्र जसाराम हरिजन नाम से है। अतः नाम दुरूस्त करना उचित है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। ग्राम फूलमाल की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खसरा संख्या 170/2 रकबा 12–10 में रेमाराम पुत्र जस्साराम बतौर खातेदार दर्ज है। नामान्तरण संख्या 171 ग्राम फूलमाल के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी को जरिये आवंटन प्राप्त हुई। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा प्रस्तुत PW 01- वादी नेमाराम का साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम नेमाराम पुत्र जस्साराम है न की रेमाराम पुत्र जस्साराम। रेमाराम तथा नेमाराम एक ही व्यक्ति है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेज नेमाराम के नाम से है तथा जमाबन्दी में नाम रेमाराम पुत्र जस्साराम दर्ज होने से सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदर्श 3ए – वादी का आधार कार्ड, प्रदर्श 4ए – वादी का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 5ए– वादी का पैन कार्ड, प्रदर्श 6ए– वादी की बैंक पासबुक एवं प्रदर्श 7ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम नेमाराम पुत्र जस्साराम है। प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावे में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम फूलमाल के खसरा संख्या 170/2 रकबा 12–10 बीघा जो भू अभिलेख में रेमाराम पुत्र जस्साराम के नाम दर्ज है जिस पर वादी कब्जा काश्त है, जो वादी को जरिये आवंटन नामांतरण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

173 दिनांक 25.05.1971 को प्राप्त हुई है। रेमाराम एवं नेमाराम दोनों एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का वास्तविक एवं सही नाम रेमाराम न होकर नेमाराम है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण के जवाब दावा एवं वादी शपथ पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात् के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम नेमाराम पुत्र जस्साराम है न कि रेमाराम पुत्र जस्साराम। भू अभिलेख में दर्ज रेमाराम वस्तुतः एक लिपिकीय एवं स्थानीय भाषागत उच्चारण से सम्बन्धित दोष से जनित त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है।क्र अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी ग्राम–फूलमाल तहसील–जैतारण जिला–पाली खसरा संख्या 170/2 रकबा 12–10 बीघा, किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि रेमाराम पुत्र जस्साराम कौम हरिजन सा0देह खातेदार में से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि **''रेमाराम''** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि **''नेमाराम''** दर्ज करते हुये वादी नेमाराम पुत्र जस्साराम कौम हरिजन निवासी फूलमाल तहसील–जैतारण जिला–पाली को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 02/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 222/2018

GCMS No. : 2018/00070

–:: वादी ::– बनाम –:: प्रतिवादीगण ::–

1. नेमाराम पुत्र जसाराम
जाति– हरिजन,
निवासी– ग्राम फूलमाल,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
राज.।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली
राज.।

राजस्व वाद बाबत घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0 स0: 222/2018

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सरकारी पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी ग्राम–फूलमाल तहसील–जैतारण जिला–पाली खसरा संख्या 170/2 रकबा 12–10 बीघा, किस्म बारानी दोयम में बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टि रेमाराम पुत्र जस्साराम कौम हरिजन सा0देह खातेदार में से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि **"रेमाराम"** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर सही एवं वास्तविक प्रविष्टि ***"नेमाराम"*** दर्ज करते हुये वादी नेमाराम पुत्र जस्साराम कौम हरिजन निवासी फूलमाल तहसील–जैतारण जिला–पाली को उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करते हुए इसी कदर वाद डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस आदेश का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से 1 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 02/02/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	—	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	/
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	04-00	मिजानः-	-Nil-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:47:16 IST
Reason: SelfAttested